कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण सरगुजा, अम्बिकापुर(छत्तीसगढ़)

क्रमांक / /विद्या/संयु.संचा. /(1) /2021–22 348 अम्बिकापुर दिनांक – 16 जून 2021

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय – विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में।

सन्दर्भ – 1. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रंमाक एफ 22–06/2020/20–एक रायपुर दिनांक 21.03.2021.
2. लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रंमाक/विद्या/2020–21/126 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.03.2021.

––00––

उपरोक्त सन्दर्भित आदेश के तारतम्य में लेख है कि नवीन शिक्षा सत्र में संभाग के समस्त जिलो में संचालित विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलेगें । विद्यार्थियों को विद्यालयों में नही बुलाया जाएगा । **विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक/कर्मचारी कोविड़–19 के संक्रमण के रोक थाम हेतु निर्धारित मापदण्ड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनेटाईजर का समय–समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त कार्यालयीन दिवसों में शत्प्रतिशत उपस्थित रह कर निम्नानुसार कार्यो का संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–**

1. विद्यालयों के संस्था प्रमुख द्वारा सौपे गये समस्त कार्य ।
2. शाला भवन– परिसर की साफ–सफाई एवं रंग रोगन किया जाना।
3. आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला व हाईस्कूल से समन्वय बनाकर पहली से छठीं, नवीं एवं 11 वीं प्रवेश के लिए उन शालाओं से विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना।
4. प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि शिक्षा पोर्टल में किया जाना।
5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश, मध्यान्ह भोजन सूखा राशन का वितरण किया जाना व विद्यार्थी का हस्ताक्षर लिया जाये।
6. प्रवेशित छात्रों के पास अगर स्मार्ट फोन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आनलाइन पढ़ाई कराई जायें।
7. cgschool.in में शिक्षक प्रविष्टि को अध्यतन किया जायें, दिवगंत,सेवानिवृत शिक्षकों के नाम विलोपित करते हुए सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति वाले का नाम जोड़ा जाये ।

8. नवनियुक्त कर्मचारियों से नामांकन प्रपत्र तैयार कराकर सेवा पुस्तिका, सीपीएस पास बुक का संधारण किया जाना।
9. आमाराईट परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाना।
10. भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाना।
11. स्थानीय कक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को शीघ्र प्रगति पत्र प्रदान किया जाना।
12. उपलेखन नियमों का पालन करते हुए समिति गठित कर अनुपयोगी सामग्री का उपलेखन कर प्राप्त राशि चालान के माध्यम से शासकीय खजाने के जमा किया जाना।
13. युडाईस प्रविष्टि का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना।
14. वार्षिकी शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया जाना।
15. छात्रवृत्ति एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तैयार किये जाने हेतु समय–सीमा का निर्धारण हतु कैलेण्डर तैयार किया जाना।
16. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा कक्षावार दिये गये अभ्यास पुस्तिका के अनुसार विद्यार्थियों का ऑनलाईन अध्यापन कराया जाना।
17. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की सम्पूर्ण तैयारी (जैसे – विद्यार्थी नामांकन, शिक्षक प्रतिनियुक्ति, अद्योसंरचना मद से)पूर्ण तैयारी किया जाना ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण सरगुजा,
अम्बिकापुर(छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक / 349 /विद्या/संयु.संचा. /(1) /2021–22 अम्बिकापुर दिनांक –16 जून 2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त , सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला परियोजना समन्वयक , रा.गा.शि.मि. सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
7. समस्त विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक , सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
8. समस्त प्राचार्य, हाई स्कूल/उ.मा.वि., सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण सरगुजा,
अम्बिकापुर(छत्तीसगढ़)